रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2013/फाल्गुन 21, 1934

No. 131] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2013/PHALGUNA 21, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2013

सा.का.नि. 165(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सीमा सुरक्षा बल, जल स्कंध समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2005 को, जहां तक उनका संबंध हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय में सीमा सुरक्षा बल के जल स्कंध में समूह 'ग' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, जल स्कंध समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम, इस नियम से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ।

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. चिकित्सक दृष्टया योग्यता .– (1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल ऐसे व्यक्ति, जो चिकित्सा प्रवर्ग शेप–I, में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(2) स्पष्टीकरण :– इस नियम के प्रयोजन के लिए "शेप–1" से निम्नानुसार चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है:–

(i) कोड अक्षर "शेप–1"(एस.एच.ए.पी.ई), जो निम्नलिखित कृत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित दिए गए कारकों के अधीन अधिकारी की उपयुक्तता निर्धारित करने के पश्चात् अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण :–

S– मनोवैज्ञानिक (Psycholocial)
H –श्रवण क्षमता (Hearing)
A –एपेंडेजेज (Appendages)
P –शारीरिक क्षमता (Physical Capacity)
E –दृष्टि क्षमता (Eye-Sight)

(ii) प्रत्येक कारक के अधीन, किसी अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता को प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 की कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी । कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे सिवाय उसके जहाँ कोई अधिकारी सभी कारकों में श्रेणी–। है` वहां इसका प्रवर्ग एस 1, एच 1, ए 1, पी 1, ई 1 लिखने के बजाय शेप–। लिखकर दर्शाया जा सकेगा। इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है :–

(1) कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए योग्य।

(2) सभी कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु क्या कत्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या आखों की श्रवण शक्ति/दृष्टी की तीक्ष्णता की माँग अन्तर्ग्रस्त है या नहीं पर निर्भर रहते हुए कर्त्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं ।

(3) ''एस'' कारक को छोड़कर नेमी या निष्क्रिय कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु उच्च स्थान(2,700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे या पहाड़ी भूखंडों पर और दीर्घ कर्तव्य भार के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती है।

(4) अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी कारण कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य ।

(5) कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य ।

7. वर्दी और बुनियादी प्रशिक्षण – इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्त व्यक्तियों को सीमा सुरक्षा बल मैनुअल जिल्द–7 में यथा विनिर्दिष्ट वर्दी पहननी होगी और सिविल पदों से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्तियों को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति पर महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा समय–समय पर यथा विनिर्दिष्ट विषयों पर नौ सप्ताह का बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।

8. अधिवर्षिता :– (1) ऐसा व्यक्ति जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया है, उस मास की अंतिम तारीख के अपरान्ह में, जिसको वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है या केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए अनुसार सेवा निवृत्त होगा:

परन्तु यह कि ऐसा व्यक्ति, जिसकी जन्म की तारीख मास की पहली तारीख है, उस मास से पूर्व मास की अन्तिम तारीख को सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को सत्तावन वर्ष की सेवा निवृत्ति की आयु के पश्चात् सेवा विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

9. अन्यदेशीय अपात्रता:– कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित में सहमति के सिवाय इन नियमों के अधीन नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह कि इन नियमों की कोई बात नेपाल या भूटान के नागरिक की नियमों के अधीन उसकी नियुक्ति, नामांकन या नियोजन को वर्जित नहीं करेगी।

10. शिथिल करने की शक्ति :– जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

11. व्यावृत्ति:– इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.हेड कांस्टेबल (मास्टर)	241* (2012) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय(योधक)	वेतन बैंड – 1/ 5,200–20,200 रुपए + ग्रेड वेतन 2,400 रु0